न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2013 R-3869-I/13

1— अन्तरसिंह

2— बनेसिंह पुत्रगण सुमेरसिंह राजपुत

निवासीगण—ग्राम मोदीपुर तह. गुलाना जिला शाजापुर म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

मांगीलाल पिता भैरूलाल पंवार

निवासी—ग्राम मोदीपुर तहसील गुलाना जिला शाजापुर म.प्र. ———अनावेदक

358
4/9/2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू—राजस्व संहिता

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/निगरानी/2012—13 में दिनांक 02/07/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत हैः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

01. यह कि, आवेदकगण अन्तरसिंह व बनेसिंह राजपुत ने न्यायालय तहसीलदार गुलाना के समक्ष अपने आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रं. 379 रकबा 0.47 हे. जो मोदीपुर में स्थित है, भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु आदेश पारित किया गया तथा तहसीलदार महोदय के आदेश के पालन में ग्राम पटवारी द्वारा दिनांक 30/05/2011 को आवेदकगण की उक्त भूमि का सीमांकन किया गया जिसके द्वारा अनावेदक मांगीलाल के आधिपत्य में आवेदकगण की 0.16 आरे भूमि होना पाई गई है । उक्त सीमांकन से असंतुष्ट होकर अनावेदक मांगीलाल ने न्यायालय अपर कलेक्टर शाजापुर के समक्ष एक निगरानी दिनांक 26/07/2011 की प्रस्तुत की अनावेदक मांगीलाल की उक्त निगरानी अपर कलेक्टर शाजापुर द्वारा स्वीकार

XXXIX(a)BR(H)-11

(24)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग. 3869–एक / 13

जिला – शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण दूसरी निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाये । आवेदक अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	